<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी</u>

R.S. No.-65/2014

CNR No UPBB180001722014

परागदीन बनाम रामजस आदि

<u>19.07.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र ग-50 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है। वादी का वाद गवाही/जिरह हेतु दिनांक 13.02.2024 को नियत था। उस दिन वादी की तबियत अचानक हो गयी जिसकी सूचना वह अपने अधिवक्ता को नहीं दे सका। वादी के अधिवक्ता ने मौका प्रार्थना पत्र पेशकार महोदय को दिया लेकिन 12 बजे के बाद पेश होने के कारण वह स्वीकार नहीं किया गया। वादी के विरूद्ध दिनांक 13.02.2024 का आदेश हो जाने के कारण वादी का साक्ष्य/जिरह समाप्त कर दिया गया है। वादी के द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं हुई है जो मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत क्षम्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त आदेश दिनांकित 13.02.2024 रिकाल करने की कृपा करें ताकि गुण-दोष के आधार पर वाद निस्तारित हो सके।

प्रतिवादीजन की ओर से हर्जे हेतु आपत्ति की गई है।

सुना व पत्रावली के साथ-साथ मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया। सुनवाई के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार पक्षों का नैसर्गिक अधिकार है, इसे प्रक्रियात्मक विधियों के माध्यम से पराजित नहीं किया पर सकता है। गुण-दोष के आधार पर मामलें का निस्तारण किया जाना न्यायहित में है। जहां तक आपत्ति का प्रश्न है उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र ग-50 मु० 250/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग-50 मु० 250/- रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त आदेश वापस लिया जाता है। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 17.10.2024 को पेश हो।

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,

कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।